

Haryana Government Gazette EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 100-2025/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, JUNE 3, 2025 (JYAISTHA 13, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 3 जून, 2025

संख्या 7/31/2014—3ए०आर०.— हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप—धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए०आर०, दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग, अधिसूचना संख्या 7/31/2014—3ए0आर0, दिनांक 3 दिसम्बर, 2021 में, अनुसूची में,—

- (1) खाना 5, 6, 7 और 8 के नीचे,-
 - (i) क्रम संख्या 20 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

5	6	7	8
′′03	कनिष्ठ अभियन्ता (सर्वेक्षण)	उप मण्डल अभियन्ता (सर्वेक्षण)	सम्पदा अधिकारी'';

(ii) क्रम संख्या 25 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

5	6	7	8
′′04	कनिष्ठ अभियन्ता	उप मण्डल अभियन्ता	सम्पदा अधिकारी'';
	(सर्वेक्षण)	(सर्वेक्षण)	

(iii) क्रम संख्या 26 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

5	6	7	8
′′05	कनिष्ठ अभियन्ता	उप मण्डल अभियन्ता	सम्पदा अधिकारी''।
	(सर्वेक्षण)	(सर्वेक्षण)	

(2) खाना 6, 7, 8 के नीचे, संख्या 30 से 40 के सामने, विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात :-

6	7	8
''कनिष्ठ अभियन्ता	उप मण्डल अभियन्ता	कार्यकारी अधिकारी''।

अनुराग रस्तोगी, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT (ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 3rd June, 2025

No. 7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 3rd December, 2021, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 03rd December, 2021, in the Schedule,-

- (1) under columns 5, 6, 7 and 8,-
 - (i) against serial number 20, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

5	6	7	8
"03	Junior Engineer	Sub Divisional Engineer	Estate Officer";
	(Survey)	(Survey)	

(ii) against serial number 25, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

5	6	7	8
"04	Junior Engineer	Sub Divisional Engineer	Estate Officer";
	(Survey)	(Survey)	

(iii) against serial number 26, for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

	5	6	7	8
"	' 05	Junior Engineer	Sub Divisional Engineer	Estate Officer".
		(Survey)	(Survey)	

(2) under columns 5, 6, 7 and 8 against serial number 30 to 40 for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely:-

6	7	8
"Junior Engineer	Sub Divisional Engineer	Executive Engineer".

ANURAG RASTOGI, Chief Secretary to Government, Haryana.